न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
53 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	26.07.2016	01.02.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1—श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री रामगोपाल जैन जी एफ.बी.ओ. मैसर्स आदिनाथ किराणा स्टोर बस स्टैण्ड नानेर तह. पीपलू जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 9 जाटों का मोहल्ला नानेर तह. पीपलू जिला टोंक

2—मैसर्स आदिनाथ किराणा स्टोर बस स्टैण्ड नानेर तह. पीपलू जिला टोंक

3—श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नरेन्द्र एण्ड कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक निवासी टोडारायसिंह रोड झिराना तह. पीपलू जिला टोंक

4—मैसर्स नरेन्द्र एण्ड कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक

5—श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक

6—मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक

7—श्री रामगोपाल खेडिया प्रोपरायटर मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी दीनानाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राज. निवासी ए—10 श्याम नगर अजमेर रोड जयपुर राज.

8—मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी दीनानाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राज.

9—श्री निरंजन लाल दत्ता (डाटा) डायरेक्टर मैसर्स दीपक वेजप्रो प्रा. लि. पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, ईटारना रोड अलवर राज. निवासी भगवती सदन, एस.डी.एम. मार्ग, अलवर राज.

10—श्री विजय दत्ता (डाटा) डायरेक्टर मैसर्स दीपक वेजप्रो प्रा. लि. पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, ईटारना रोड अलवर राज. निवासी भगवती सदन, एस.डी.एम. मार्ग, अलवर राज.

11—श्री सौरभ दत्ता (डाटा) डायरेक्टर मैसर्स दीपक वेजप्रो प्रा. लि. पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, ईटारना रोड अलवर राज. निवासी भगवती सदन, एस.डी.एम. मार्ग, अलवर राज.

12—श्री अजय कुमार दत्ता (डाटा) डायरेक्टर मैसर्स दीपक वेजप्रो प्रा. लि. पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, ईटारना रोड अलवर राज. निवासी भगवती सदन, एस.डी.एम. मार्ग, अलवर राज.

13—मैसर्स दीपक वेजप्रो प्रा. लि. पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, ईटारना रोड अलवर राज.
..............अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री अवनी दीप शर्मा।

:—निर्णय—: **दिनांक 01.02.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.01.2016 को समय 02:46 पी.एम पर मैसर्स आदिनाथ किराणा स्टोर बस स्टैण्ड नानेर तह. पीपलू जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री रामगोपाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिनेश कुमार जैन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री दिनेश कुमार जैन की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **ब्लेण्डेड इडिबल एण्ड वेजिटेबल ऑयल नीरज स्पेशल मूल पैक एगमार्क (Blended Edible and Vegitable Oil Neeraj Special Origional Pack Agmark)** के 910–910 ग्राम के 12 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री दिनेश कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **ब्लेण्डेड इडिबल एण्ड वेजिटेबल ऑयल नीरज स्पेशल मूल पैक एगमार्क (Blended Edible and Vegitable Oil Neeraj Special Origional Pack Agmark)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 910–910 ग्राम के 4 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **ब्लेण्डेड इडिबल एण्ड वेजिटेबल ऑयल नीरज स्पेशल मूल पैक एगमार्क (Blended Edible and Vegitable Oil Neeraj Special Origional Pack Agmark)** 910–910 ग्राम के 4 नग के एक–एक नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1264 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा [redacted]हान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1264 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री दिनेश कुमार जैन ने मौके पर मैसर्स नरेन्द्र एण्ड कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय [redacted] सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

मैसर्स नरेन्द्र एण्ड कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक ने व्यवहारी ने मैसर्स आयुष एजेन्सीज सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत किया जिसके व्यवहारी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी दीनानाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर का वारंटी बिल पेश किया। मैसर्स

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी दीनानाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर से सम्पर्क किए जाने पर निर्माता के रूप में मैसर्स दीपक वेजप्रो प्रा. लि. पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, ईटारना रोड अलवर राज. का वारन्टी बिल प्राप्त हुआ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/1155 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./25/एक्ट/2016/75 दिनांक 01.02.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **ब्लेण्डेड इडिबल एण्ड वेजिटेबल ऑयल नीरज स्पेशल मूल पैक एगमार्क (Blended Edible and Vegitable Oil Neeraj Special Origional Pack Agmark) अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री अवनी दीप शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **ब्लेण्डेड इडिबल एण्ड वेजिटेबल ऑयल नीरज स्पेशल मूल पैक एगमार्क (Blended Edible and Vegitable Oil Neeraj Special Origional Pack Agmark)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने फर्म प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ब्लेण्डेड इडिबल एण्ड वेजिटेबल ऑयल नीरज स्पेशल मूल पैक एगमार्क (Blended Edible and Vegitable Oil Neeraj Special Origional Pack Agmark)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/—(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीज की गई धनिया पाउडर का नियमानुसार निस्तारण करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0